कार्यालय, नगर परिषद, बांका

श्री अभिनव कुमार (बि०न०से०)
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बांका।

Phone No. 06424-221060
E-mail id- nagarpanchayatbanka@gmail.com

पत्रांक—..........55(4pm)

सेवा में,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

05 FEB 2019

बांका, दिनांक—...........

विषयः— **नगर पंचायत, बांका के वर्ष 2013–14 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–774 / 2017–18 का प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–774 / 2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित एतद् संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

अनु0–यथोक्त–

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बांका

ज्ञापांक–...40........../ दिनांक–...04.02.2019...

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, बांका को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

06 FEB 2019
1481

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बांका

कार्यालय नगर परिषद, बांका

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–774/2017–18 का कंडिका वार अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0 सं0	कंडिका सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण	अभियुक्ति / साक्ष्य
01	01	वसूली गई राशि कोषागार / बैंक में जमा नही रूपैया 4.64 लाख	4,64,272.00 रू0 राशि कोषागार से चलान पारित कराकर बैंक में जमा किया जा चुका है।	चलान की छाया प्रति रिमिटेन्स की छाया प्रति संलग्न
02	02	वसुली गई राशि कोषागार / बैंक में जमा रूपैया 0.68 लाख	68,687.00 रू0 राशि कोषागार से चलान पारित कराकर बैंक में जमा किया जा चुका है।	चलान की छाया प्रति रिमिटेन्स की छाया प्रति संलग्न
03	03	सफाई कार्य के आउटसोर्सिंग में अनियमितता तथा अधिक भुगतान रू0 2.04 लाख	भविष्य में इसका ध्यान रखा जाऐगा।	
04	04 भाग II (ख)	सामग्रियों के क्रय में आपूर्त्तिकर्त्ता को अधिक भुगतान रू0 1.24 लाख	उपष्कर से संबंधित संस्थानों के द्वारा फार्म C-III कार्यालय को समर्पित किया गया है। जिसमे संबंधित VAT का भुगतान संस्थान द्वारा किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।	
05	06	**योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता रू0 24 लाख**		
	06 (i)	नियमानुंसार 10 लाख तक का कार्य के लिए सहायक अभियंता द्वारा ही तकनिकी स्वीकृति देने का प्रावधान है जबकि उपरोक्त योजनाओं में तकनिकी स्वीकृति कनीय अभियंता द्वारा दिया गया है जो कि नियम के विपरीत है। उक्त योजनाओ की तकनिकी स्वीकृति सहायक ,अभियंता द्वारा नही लिया गया था।	इस कंडिका में उल्लेखित सभी योजनाओं का तकनीकि स्वीकृति सक्षम प्राधिकार– सहायक अभियंता के सक्षम से प्राप्त था।	साक्ष्य संलग्न हैं।
	06 (ii)	उक्त सभी योजनाओं में प्राक्कलन तैयार करना मापी पुस्त अंकित करना तथा मापी पुस्त के कार्य को सत्यापित स्वयं अभिकर्त्ता द्वारा किया गया है जो कि दियम के सर्वथा विपरित है। अभिकर्त्ता द्वार स्वयं अपने कार्य की मापी एवं सत्यापित करने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।	वर्त्तमान में इस कंडिका का अनुपालन कार्यालय द्वारा किया जा रहा हैं। विभागीय योजना के निष्पादन में एक योजना में अभिकर्त्ता एवं कनीय अभियंता अलग–अलग कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।	साक्ष्य संलग्न हैं।
	06 (iii)	नगर पंचातय क्षेत्रान्तर्गत सभी 22 वार्डो में मुख्य पथ सहायक पथों एवं नाली की सफाई कार्य जीवन ज्योति सौताडीह द्वारा दिनांक–20.05.2014 से ही कराया जा रहा है फिर नाली की सफाई पर रू0 24,24,529.00 का अतिरिक्त व्यय किया गया था। जवाब में बताया गया कि तकनिकी अधिकारी एवं अभिकर्त्ता से पुछ ताछ किया गया। अधिकतम जलजमाव के कारण आम जनता पर बुड़ा पड़ प्रभाव पड़ रहा था जिसके कारण इस कार्य को	संबंधित सस्थान जीवन ज्योति सौताडीह को कार्यालय से साफ सफाई स्वच्छता व डोर टू डोर कुड़ा उठाव के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया था। नाला उड़ाही कार्य इनमे सम्मलित नही था। ऐसी परिस्थिति में सड़क के मुख्य नालों एवं प्राकृतिक बडो निकास नालों की उड़ाही समय समय पर कराया गया है।	साक्ष्य संलग्न।

		त्वरित रूप से निष्पादित किया गया। सहायक अभियंता द्वारा तकनिकि स्वीकृति दिया जा रहा है।		
06	07	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित उपभोक्ता शुल्क नही रू0 30.26 लाख	इस कंडिका में वर्णित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क वसूली हेतु नगर पालिका द्वारा बिनियम् नही बनाया गया है। बिनियम् बनाकर विभाग से अनुमोदन के उपरान्त इस कंडिका में उल्लेखित उपभोक्ता शुल्क की वसुली की कार्रवाई किया जायेगा।	नगर निकाय के स्तर पर विनियम बनने के साथ ही उपभोक्ता शुल्क की वसूली किया जायेगा।
07	08	संचार के अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली नही राशि रू0 4.26 लाख	समय समय पर समाचार पत्र के माध्यम से एवं कार्यालय द्वारा संबंधित मोबाईल टॉवर को नोटिस निर्गत किया गया है। कई मोबाईल टॉवरों द्वारा राशि जाम भी किया गया है	कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त संचार खबरो से शूल्क की छाया प्रति . साक्ष्य स्वरूप संलग्न है।
08	09	योजना का क्रियान्वयन में अनियमितता एवं अधिक भुगतान राशि रू0 3.10 लाख	निविदा का निष्पादन अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, बिहार पटना के स्तर से किया गया था। एकल निविदा होने के कारण कार्यदेश निर्गत किया गया।	भविष्य में कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संलग्न है।
09	10	योजना पर मापी से अधिक भुगतान राशि रू0 18.00 लाख	संतोष कुमार सिंह संवेदक द्वारा क्रियान्वित नगर पंचायत, बांका के प्रशासनिक भवन निर्माण का कार्य। आवंटन अधिक्षक अभियंता बिहार शहरी बिकास अभिकरण पटना के पत्रांक–126 दिनांक–09.02.2017 के द्वारा किया गया। वर्त्तमान में इस योजना मद अन्तर्गत अधिक भुगतान किये गये राशि मो0 18. 00 लाख का समायोजन योजना कार्य के विरूद्ध कर लिया गया है।	पत्रांक–126 दिनांक–09.02.2017 एवं मापी पुस्िका की छाया प्रति संलग्न है।
10	11	योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता राशि रू0 2.20 लाख	वर्त्तमान में अनुपालन के क्रम में योजनाओं का क्रियान्वयन ई–निविदा के माध्यम से कराया जाता है।	साक्ष्य संलग्न है।
11	12	निबंधन शुल्क की राशि नहीं किये जाने के कारण राजस्व की क्षति रू0 2.39 लाख	कार्रवाई की जा रही है।	साक्ष्य संलग्न है।
12	13	मार्गदर्शिका के विपरीत 13वीं वित्त मद की राशि का विचलन कर अनियमित व्यय राशि रू0 19.98 लाख	आपत्ति के अनुपालन मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यवाई किया जा रहा है।	
13	14	मार्गदर्शिका के विपरीत योजना का चयन कर अनियमित व्यय रू0 6.57 लाख	जनहित में कार्य कराया गया है।	साक्ष्य संलग्न है।
14	15	वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए हाईमास्ट लाईट की खरीददारी	भविष्य में संबंधित व्यक्ति से अधिक भुगतान की गयी संस्थान	

		(राशि रू0 43.00 लाख) एवं अधिक भुगतान राशि रू0 4.13 लाख	से वसुली की कार्यवाई किया जाऐगा।	
15	16	अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण	लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत पंजीयों का संधारन नगर पंचायत, बांका द्वारा कर दिया गया है।	कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संलग्न है।
16	17	सामान्य रोकड़ बही में त्रुटियॉ	इस कंडिका में वर्णित रोकड़ बही की त्रुटियों का निराकरन करते हुए सामान्य रोकड़ बही के साथ–साथ सहायक रोकड़ बही संधारित किया गया ह। साथ ही कोषागार व बैंक खाता का मिलान करा लिया गया है	साक्ष्य संलग्न है।

05/12/13
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् बांका